

To,  
The Director  
Centre for Professional Development in Higher Education (CPDHE)  
UGC - Human Resource Development Centre (HRDC)  
University of Delhi  
Delhi - 110 007

**Subject: No Objection Certificate and Certificate for claiming TA/DA**

Dear Sir/Madam,

I recommend and forward the name of Mr./Mrs./Ms./Dr. ....  
for the Faculty Induction Programme / Refresher Course / Short Term Course / Workshop on  
....., if selected he/she will be relieved on time to  
participate in the above course/programme/workshop. All information provided by him/her  
is verified.

This is to certify that our college/institution/organisation .....  
..... (name of the institution) is affiliated  
to ..... (name of the University)  
since ..... and recognized under Section 2(f) and included under Section 12(b)  
of UGC Act 1956, vide letter no. .... dated .....  
received from University Grants Commission, New Delhi (copy enclosed).

The above information provided is true to our knowledge, and if found to be  
otherwise, the concerned teacher who is attending the course/programme/workshop  
organised by CPDHE, UGC-HRDC, University of Delhi will not be entitled for his/her TA/DA as  
per the new UGC Guidelines for HRDCs.

Date:

Yours sincerely

Place:

Principal/Head of Institution  
(Signature with Official Seal)

सेवा में,  
निदेशक  
उच्च शिक्षा में व्यावसायिक विकास केंद्र (सी.पी.डी.एच.ई.)  
यू.जी.सी. - मानव संसाधन विकास केंद्र (एच.आर.डी.सी.)  
दिल्ली विश्वविद्यालय  
दिल्ली - 110 007

**विषय: अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं टी.ए./डी.ए. का दावा करने के लिए प्रमाणपत्र**

प्रिय महोदय/महोदया,

में, श्रीमान/श्रीमति/सुश्री/डॉ. .... का नाम फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम / पुनश्चर्या पाठ्यक्रम / अल्पावधि पाठ्यक्रम / कार्यशाला ..... के लिए अनुशंसित और प्रेषित करता हूं। चयनित होने पर, उपरोक्त पाठ्यक्रम/कार्यक्रम/कार्यशाला में भाग लेने के लिए उस अवधि में उन्हें कार्य-मुक्त किया जाएगा। आवेदक द्वारा दी गई समस्त जानकारी सत्यापित की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारा ..... (संस्था का नाम) कॉलेज/संस्था ..... (वर्ष) सन से ..... (विश्वविद्यालय का नाम) विश्वविद्यालय से संबद्ध है, और यू.जी.सी. अधिनियम, 1956 की धारा 2 (f) के तहत मान्यता प्राप्त है और धारा 12 (B) के तहत शामिल है, पत्रांक ..... दिनांक ..... विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त हुए मान्यता पत्र की प्रति संलग्न।

उपरोक्त जानकारी हमारे ज्ञान के अनुसार सत्य है, और यदि गलत पायी जाती है, तो संबंधित शिक्षक जो सी.पी.डी.एच.ई., यू.जी.सी. - एच.आर.डी.सी., दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्यक्रम/कार्यक्रम/कार्यशाला में भाग ले रहे हैं, एच.आर.डी.सी. के लिए नए यू.जी.सी. दिशानिर्देशानुसार अपने टी.ए./डी.ए. के हकदार नहीं होंगे।

तिथि:

भवदीय/भवदीया

स्थान:

प्रधानाचार्य/संस्थान के प्रमुख  
(आधिकारिक सील के साथ हस्ताक्षर)